पटना शहर में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने एवं पटना जिला में निकलने वाले धरना प्रदर्शन एवं जुलूस को नियंत्रित करने के संबंध में दिनांक 08.07.2013 को डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाहीः—

उपस्थितिः—

1. श्री एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0,जिला पदाधिकारी, पटना।
2. श्री मनु महराज,भा0पु0से0,वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।
3. श्री जयंत कान्त, नगर पुलिस अधीक्षक, पटना।
4. श्री बी0एन0 झा, पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण, पटना।
5. श्री चन्द्रशेखर सिंह, नगर दण्डाधिकारी—सह—प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना।
6. श्री अनुपम कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, अभियान, पटना।
7. मो0 नैयर एकबाल, अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर।
8. श्रीमती ममता कल्याणी, पुलिस उपाधीक्षक,विधि व्यवस्था, पटना।
9. श्री मनीष कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना।
10. श्री सुशान्त कुमार सरोज, पुलिस उपाधीक्षक, दानापुर।
11. श्री मिथलेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, पालीगंज
12. श्री राजेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, पटना सिटी।
13. मो0 इम्तेयाज, पुलिस उपाधीक्षक, फुलवारीशरीफ।
14. मो0 मुत्तफिक अहमद, पुलिस उपाधीक्षक, पटना सदर।

24/7/2013

सर्व प्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बेली रोड, हार्डिग रोड, मैंगल्स रोड, स्टैण्ड रोड, सर्कुलर रोड, शहीद पीर अली मार्ग एवं देश रत्न मार्ग में माननीय मंत्रिगण, माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, संवैधानिक पदों पर आसीन विशिष्ट व्यक्ति एवं सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति निवास करते है। इन क्षेत्रों में माननीय उच्च न्यायालय, सचिवालय, बिहार लोक सेवा आयोग, राजभवन एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे अतिमहत्वपूर्ण स्थल अवस्थित है। इन अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस एवं अतिक्रमण उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में कहीं—कहीं स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण भी कर

Contact No. 0612-2219097 (R) 0612-2219545 (O) 0612-2218900 (Fax)
E-mail- dm-patna.bih@nic.in/ dmpatna@gmail.com

लिया गया जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अस्थायी अतिक्रमण रहने से असामजिक तत्वों का वहाँ जमवाड़ा हो जाता है जिससे महानुभावों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न होता है। पूर्व में घटित राष्ट्रीय आतंकवादी/नक्सलवादी घटनाओं को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि इन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुदृढ़ किया जाय, की इन घटनाओं को कारगर ढंग से नियंत्रित किया जा सके एवं माननीय महानुभावों को फुल प्रूफ सुरक्षा प्रदान की जा सके।

पूर्व में मुख्य सचिव के निदेश के आलोक में दिनांक–02.08.2005 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सभी धरना/प्रदर्शन आदि आयोजित करने हेतु आर0ब्लॉक चौराहा से पूरब हार्डिंग रोड का उपयोग करने हेतु निर्णय लिया गया था परन्तु इसका उल्लघंन कर इन क्षेत्रों में यदा–कदा धरनार्थी एवं प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में प्रवेश कर जाते है, जिससे यातायात–व्यवस्था बाधित हो जाती है एवं आम जनता को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित क्षेत्रों को **प्रतिबंधित क्षेत्र (Prohibited Area)** घोषित करने का निर्णय लिया गया।

(क) देशरत्न मार्ग

(ख) सर्कुलर रोड (कौटिल्या मार्ग)

(ग) शहीद पीर अली पार्क।

(घ) स्ट्रैण्ड रोड।

(ड़) मैगंल्स रोड।

(च) बेली रोड (जवाहरलाल नेहरू मार्ग) –कोतवाली थाना से शेखपुरा मोड़।

(छ) हार्डिंग रोड (कांति मार्ग)– आर0ब्लॉक चौराहा से पटेल गोलम्बर तक

विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य प्रतिबंधित रहेगें

1. उपरोक्त क्षेत्रों में किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शेन एवं जुलूस को प्रतिबंधित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्रों में सतत् निगरानी रखी जाय कि किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन जुलूस नहीं होने पाय।
2. उपरोक्त क्षेत्रों में किसी प्रकार का अतिक्रमण स्थायी/अस्थायी नहीं होगा। अगर है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई कर उसे हटाना सुनिश्चित

किया जाय तथा थानाध्यक्ष, कोतवाली एवं सचिवालय की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि इन क्षेत्रों में पुनः अतिक्रमण नहीं होने पाय।

3. उपरोक्त क्षेत्रों में सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों एवं बड़ी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। (बेली रोड में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.30 बजे तक छोड़कर)।

इस क्षेत्र को जीरो टॉलरेन्स क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया।

विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि अगर इन क्षेत्रों में किसी के द्वारा धरना/प्रदर्शन/जुलूस एवं अतिक्रमण किया जाता है तो उनके विरूद्ध संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार उनकी गिरफ्तारी एवं अन्य विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

इस संबंध में यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित करायी जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए।

विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त पटना जिला में धरना, प्रदर्शन एवं जुलूसों को नियंत्रित करने हेतु गृह विभाग, बिहार के पत्रांक 3188 दिनांक 08.04.2013 के आलोक में पटना शहरी क्षेत्रों में जुलूस धरना एवं प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाय ताकि आमजनों के दैनिक कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। शहरी क्षेत्रों में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन हेतु अनुमति के लिए पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित थानाध्यक्षों को नामित करने का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इस कार्य हेतु इन्हें सक्षम प्राधिकार के रूप में नामित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार को प्रत्येक जुलूस, प्रदशर्न/धरना का विडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा। साथ ही आयोजनकर्ता को लिखित रूप से सक्षम प्राधिकार से निश्चित रूप से किसी धरना, जुलूस, प्रदर्शन के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। आयोजनकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि बिना किसी सक्षम प्राधिकार के अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित न करें। यह इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस की जानकारी पूर्व से सभी संबंधितों को हो जिसे यातायात व्यवस्था को संचालित करने हेतु इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जुलूस, धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम हो एवं आम

जनता को कम से कम परेशानी उठानी पड़े एवं यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके।

इस संबंध में यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित करायी जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(डॉ0 एन0 सरवण कुमार)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 6552 /गो0, पटना, दिनांक 10/7/13

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ नगर पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना/ अपर जिला दंडाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना/सिटी मैजिस्ट्रेट–सह– प्रभारी दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी पुलिस उपाधीक्षक, पटना/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटनाि जिला/सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला/ सभी पुलिस निरीक्षक, पटना जिला/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला/प्रभारी पदाधिकारी, पी0आई0आर0, पटना/ थानाध्यक्ष, कोतवाली एवं सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी पटना।